

308  
24

पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी अत्रपत्रिका  
वारी/प्रार्थी के लो वकालतन एव न ही  
अतालतन उपर दुआ। न्यायालय द्वारा  
कार-2 कर कर कर आवेदन लगाई गई।  
प्रार्थी का प्रार्थन शरी स्वर पर अत्र  
पेची अत्र हाफरी के खारिज की जाती  
है। वादप्रकार प्रार्थन के तल शुमार होकर  
दार्प्रल फफवाह हो व दर्ज व प्रार है  
कर हो।

(अजीत कुमार गोदारा)  
उपसंलग्न अधिकारी  
अनूपगढ़

